कोटा के चौराहे पर्यटक एवं दुर्घटना मुक्त शहर की पहचान बनेंगे : स्वायत्त शासन मंत्री

कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा चौराहों का निरीक्षण किया गया।

कोटा, (निसं)। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने सोमवार को प्रमुख चौराहों के सौन्दर्यकरण एवं अंडरपास के प्रगतिरत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि ये चौराहे आने वाले दिनों में पर्यटक पहचान के साथ दुर्घटना मुक्त शहर की पहचान बनेंगे, सभी कार्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता से पूरा किया जावे। स्वायत्त शासन मंत्री ने अंटाघर अंडरपास से निरीक्षण की शुरुआत करते हुए नव विकसित ग्लोब सर्किल में विश्व के सभी देशों को अलग-अलग रंगों से प्रदर्शित करने, फव्वारा से ग्लोब पर पानी की नियमित बौछार गिराने तथा प्लांटेशन के पास 3-3 फीट रैलिंग लगाने के निर्देश दिये।

उन्होंने अंडर पास से आने वाले यातायात के सुगम निकास एवं दुर्घटना मुक्त के लिए डिवाइडर को सर्किल तक बढाने के निर्देश दिये। उन्होंने सर्किल के कार्य में देरी करने पर संवेदक के खिलाफ जुर्माना लगाने तथा फरवरी माह तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने अंडरपास एवं जेडीबी कॉलेज के सामने बनाये गये प्लांटेशन स्थलों पर तेजी से कार्य पूरा करवाने के निर्देश भी प्रदान किये। उन्होंने कोटड़ी चौराहे पर बनाए जा रहे हैं ग्रेट सेपरेटर की नई डिजाइन के बारे में अधिकारियों से चर्चा कर चारों और से आने वाले यातायात की निकासी के बारे में किए गए प्रावधानों की जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि नई डिजाइन से आवागमन भी सुगम होगा तथा स्थानीय नागरिकों को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। उन्होंने यूआईटी के अधिकारियों को टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने एरोड्रम अंडरपास का निरीक्षण कर सौंदर्यकरण के कार्य को बारीकी से देखा और समय पर गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी तक अंडरपास की दीवारों पर सौंदर्यकरण कार्य तथा एक मिनार के कार्य को पूरा किया जाएं तथा मुख्य सर्किल पर बनने वाली शेष मिनार के कार्य को गति प्रदान करने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ायें।

स्वायत्त शासन मंत्री ने घोड़े वाले बाबा सर्किल के कार्य का निरीक्षण करते हुए कहा कि 28 फरवरी तक निर्माण कार्य पूरा कर सौंदर्यकरण के साथ लाइटिंग का कार्य भी गति के साथ करें। उन्होंने सर्किल पर लगने वाले घोड़े एवं शेर की प्रतिमाओं की स्थापना के कार्य को भी पूर्ण गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्किल पर ऊपर से फव्वारों से गिरने वाला पानी में महराब की कारीगरी भी दिखाई दें।

स्वायत्त शासन मंत्री ने कलादीर्घा के सामने ग्रामीण हाट के स्थान पर विकसित की जा रही बहुदेशीय नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण कर परिसर में बनाये जा रहे पुस्तकालय में प्रवेश के लिए एक द्वार रखने के निर्देश देते हुए कहा कि शेष गेटों पर ग्लास लगाये जाये जिससे पुस्तकों पर धूल-मिट्टी नहीं जम सके। उन्होंने जून तक पुस्तकालय के कार्य को पूरा करने, बावड़ी के सौंदर्यकरण एवं छतरियों के निर्माण को गुणवत्ता के साथ कराते हुए बावड़ी से पानी निकासी एवं भराव के लिए पाईप लाईन का प्रावधान भी करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक काम पूरा नहीं करने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जायेगा। उन्होंने समीप बन रहे बस स्टॉप में अलग-अलग टिकट विंडो के साथ यात्रियों को बैठने के लिए चार-चार सीटर बेंच लगाने एवं यात्री सुविधाओं को गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस स्टॉप से पुस्तकालय एवं कलादीर्घा की तरफ आवागमन नहीं हो इसके लिए बीच में दीवार बनाकर रेलिंग लगाई जाएं जिससे दोनों कैम्पस अलग-अलग दिखाई दें। उन्होंने बस स्टॉप के कार्य को एक माह में पूरा करने के निर्देश दिए।

कॉलेज का कायाकल्प देखकर हुए गदगदः- स्वायत्त शासन मंत्री राजकीय महाविद्यालय भवन के कायाकल्प को देखकर गदगद नजर आए उन्होंने कहा कि 100 साल से भी पुरानी यह इमारत आज भी बेहतरीन नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में अध्ययन के साथ छात्रसंघ अध्यक्ष भी रहा हूँ मन में इस भवन के कायाकल्प की इच्छा थी। आज प्रसन्नता व गर्व की अनुभूति हो रही है यह भवन आकर्षक बना है। उन्होंने भवन के रखरखाव व सफाई के लिए कॉलेज प्रशासन को सफाईकर्मी रखने व चौकीदार नियुक्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान संभागीय आयुक्त दीपक नंदी, जिला कलक्टर हरिमोहन मीना, यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी, नगर विकास न्यास के विशेष अधिकारी आरडी मीना, नगर विकास न्यास सचिव राजेश जोशी सहित अभियंता मौजूद रहे।

बिजली कंपनी की मनमानी से खफा जनता के लिए कांग्रेस जन ने रैली, धरना और प्रदर्शन किया

कोटा में कांग्रेसजनों के द्वारा निजी विद्युत कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।

कोटा, (निसं)। निजी बिजली कंपनी के विरोध में कांग्रेसजन आमजन और व्यापारी बंधुओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन कर धरना दिया और अपनी मांगे मंगवाई। कांग्रेस जन जिला कांग्रेस महामंत्री विपिन बरथुनिया, सचिव और पार्षद साजिद खान लाला भाई और कांग्रेस नेता अजय भान सिंह शक्तावत ने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए रैली निकालकर, धरना देकर प्रदर्शन किया।

जिला कांग्रेस महामंत्री विपिन बरथुनिया ने कहा कि कोटा की जनता का आ रही परेशानियों को देखते उनको राहत को जाने के लिए हमने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर धरना दिया। बरथुनिया ने कहा हमारी मांगे थी कि कंपनी की लापरवाही से मरी गायों का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही कंपनी की लापरवाही से घरों में हाई वोल्टेज आने से खराब हुए उपकरणों

■ बिजली कंपनी केईडीएल ने मांगे मानी, अधिकारी जनता के बीच आए

का मुआवजा दिया जाए। और कंपनी के द्वारा प्रतिदिन बिजली के रखरखाव के नाम पर की जा रही बिजली कटौती को बंद किया जाए। साथ ही कंपनी के द्वारा खुद के लगाए गए बिजली के मीटर की जगह जो जबरन दोबारा मीटर लगाए जा रहे हैं उनको बंद किया जाए। साथ ही सभी सरकारी दफ्तरों में बिजली के मीटरों की जांच सरकारी कमेटी बनाकर अपने स्तर पर की जाए। जिस प्रकार नगर निगम नगर विकास न्यास और हाउसिंग बोर्ड के मीटरों की गई थी। और जब से कंपनी आई है तब से लेकर अभी तक कंपनी की ऑडिट नहीं की गई है।

अतः कंपनी की ऑडिट राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा की जाए। धरने में से सेवादल प्रदेश सचिव अमित सूद, अजय नागर, प्रदीप सुमन, माया जैन, पार्षद रचना शर्मा, दिलीप माधवानी, शाहरुख खान, दीपक शर्मा, शेर अली, सोहेल खान, रवि बरथुनिया, असलम बैग, ज्योति दत्ता, अख्तर अहमद, सुखदेव प्रजापति, चंदा शर्मा, कुसुम सेन, पार्षद सुनील शर्मा, पार्षद चंदू स्वालख्या, पार्षद संजीव जैन, अंजु मेहरा, राकेश केवट, नीरज शर्मा, पार्षद दिनेश खटीक, अनूप मिश्रा, चेतन मेवाड़ा, विजय कोडप, चंद्रशेखर सैनी, प्रतिक सैनी, अनिल दीप चंदानी, राजा शेख, रमेश सुमन, पवन वर्मा, जॉनी वर्मा, महेश रेगर, मजीद खान, कोमल कुमार, मोनू, बीरबल, राहुल मीणा, जुनेद अंसारी, नवीन कुमार, राजा मोबीन आदि कांग्रेसजन आमजन और व्यापारी बंधु उपस्थित रहे।

आज यहां बिजली बंद रहेगी

कोटा, (निसं)। विद्युत लाइनों के रखरखाव के कारण मंगलवार को सुबह 10.30 से दोपहर 2.30 बजे तक महावीरनगर प्रथम, सेंट्रल मेडिकल क्षेत्र, रंगबाड़ी सेक्टर 2, विश्वकर्मा नगर स्पेशल, महावीर नगर तृतीय, सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक तलवण्डी सेक्टर ए,बी व सी, एसएफएस, सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक तलवण्डी सेक्टर ए, सुधा अस्पताल व कोटा हार्ट के आसपास का क्षेत्र, सुबह 11 से दोपहर 1.30 बजे तक देश की धरती कार्यालय, एसबीबीजे बैंक, हनुमान मंदिर, सुभाषनगर प्रथम, सब्जीमंडी रंगबाड़ी, मुक्तिधाम रोड़, सुभाषनगर द्वितीय, स्काई पार्क, अनंतपुरा योजना, विश्वकर्मा नगर स्पेशल, शगुन गार्डन, श्री राधे मार्बल, राजू भदाना, दूध डेयरी, सुभाषनगर मैन रोड़, सुबह 11 से शाम 4 बजे तक चित्रगुप्त कॉलोनी, सुबह 10.30 से दोपहर 3 बजे तक आरटीओ, होमगार्ड ऑफिस व आसपास का क्षेत्र, सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक सांई बाबा मंदिर, टिपटा, बोहरा बगीची, गढ़ पैलेस, पाटनपोल, सरायकाय स्थान, घंटाघर, बमभोला मंदिर, छोटी समाध, बड़ी समाध, रेतवाली, हाथीथान, शिवदास घाट की गली, भाटापाड़ा, जामा मस्जिद, चश्मे की बावड़ी, हरिजन बस्ती, बजरंगपुरा श्मशान रोड़, तेजाजी मंदिर, सुभाषनगर का कुछ भाग, कृष्णा विहार का कुछ भाग, लक्ष्मण विहार का कुछ भाग, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का कुछ भाग, काली बस्ती, थर्मल कॉलोनी, सगसजी महाराज के आसपास, न्यू थर्मल कॉलोनी, आरएसईबी कॉलोनी का कुछ भाग, सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक नेहरू कॉलोनी, जिला परिषद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय के आसपास, दोपहर 2.30 से शाम 5 बजे तक जयपुर गोल्डन, जगदीश होटल, सेटेलाइट अस्पताल, गाड़ी खाना, धानमंडी, कोलीपाड़ा, हरिजन बस्ती, सरोवर टाकीज, गांधी चौक, भैरूगली, अग्रसेन बाजार, बख्शपुरी कुण्ड की गली, सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक रॉयल टाउन, मॉडल टाउन, स्टेशन मैन रोड, मनोज चौराहे के आसपास आदि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।

'नियमित कर्मचारियों को वेतन समय पर मिलता है, तो ठेका श्रमिकों को क्यों नहीं'

कोटा, (निसं)। एचएमएस से संबद्ध थर्मल ठेकेदार वर्कर्स यूनियन ने उत्पादन निगम के सीएमडी आरके शर्मा को पत्र भेजकर थर्मल के ठेका श्रमिकों का वेतन भुगतान करवाने की मांग की है। यूनियन अध्यक्ष आजाद शेरवानी ने बताया कि कोटा थर्मल में संचालन एवं संधारण जैसे नियमित प्रकृति के कार्यों पर वर्षों से कार्यरत ठेका श्रमिकों को समय पर वेतन नहीं मिलने से आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

बिजली उत्पादन में ये ठेका श्रमिक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं फिर भी थर्मल प्रशासन इनके साथ सौतेला व्यवहार निभाता है। नियमित कर्मचारियों का वेतन समय पर होता है तो इन गरीब मजदूरों का वेतन समय पर क्यों नहीं किया जाता वेतन नहीं मिलने से परेशानी झेलकर भी शट डाउन में लगातार काम करके श्रमिक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ताकि प्लान्ट निर्बाध रूप से संचालित हो दूसरी तरफ़ प्रशासन इनके प्रति लापरवाह बना हुआ है।

श्रम कानून के तहत श्रमिकों का हर महीने की सात तारीख तक भुगतान हो जाना चाहिये मगर समय पर वेतन नहीं करके लगातार श्रम कानून की अवहेलना की जा रही है। ठेकेदारों पर दबाव देने पर उनके द्वारा कहा जा रहा है। कि उन्हें सितम्बर 2021 से भुगतान नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि थर्मल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन वेलफेयर सोसायटी ने भुगतान नहीं मिलने पर थर्मल प्रशासन को अपने श्रमिकों के साथ आन्दोलन पर जाने तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है। फिर भी थर्मल प्रशासन ठेका श्रमिकों का भुगतान दिलाने में लापरवाही बरत रहा है। इस समय कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत है। ऐसे संकट के समय भी प्रशासन का लापरवाह होना निंदनीय है। सहायक महासचिव बद्रीलाल शर्मा, महावीर शर्मा, ब्रजेश नामा, जगदीश मेहरा, भगतसिंह शक्तावत, बिरधीलाल नागर, राजेन्द्र बुनकर, नन्द किशोर महावर इत्यादि पदाधिकारियों ने बताया कि ठेका श्रमिकों को दिन रात मेहनत करने के बाद भी छह या सात हजार वेतन मिल पाता है। इतने वेतन में परिवार का पेट भी भरना मुश्किल है। ऊपर से ये समय पर नहीं मिले तो मजबूरन ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है। जिससे आर्थिक व मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। ठेका श्रमिक सरकारी कर्मचारियों से अधिक परिश्रम करते हैं उत्पादन में अधिक योगदान देते हैं फिर भी इन्हें अनदेखा किया जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता यदि निगम के पास पैसा नहीं है। नुकसान हो रहा है। तो क्यों हर साल फिजूल में अधिकारी व कर्मचारियों को प्रोडक्शन अवार्ड के नाम खर्चा बढ़ाया जा रहा है. और जिनकी बदौलत चिमनी धुआं उगल रही हैं वो 6-7 हजार के लिये भी तरस रहे हैं क्या ये मेहनतकश समान काम समान वेतन के हकदार नहीं हैं थर्मल प्रशासन ठेका श्रमिकों की अनदेखी बन्द करे और जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों का वेतन समय पर हो रहा है। उसी प्रकार ठेका श्रमिकों को भी समय पर भुगतान करवाये।

उषा सक्सेना का नेत्रदान हुआ

कोटा, (निसं)। महाराव भीमसिंह चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ नवीन सक्सेना की ताई उषा सक्सेना का निधन भारत विकास परिषद अस्पताल दादाबाड़ी में हो गया था। डॉक्टर नवीन सक्सेना ने सूचना नेत्र रोग विभाग को दी। बिना देरी किये हुए डॉक्टर नवीन सक्सेना ने एंबुलेंस द्वारा नेत्र रोग विभाग की टीम को भारत विकास परिषद के लिए तुरंत रवाना कर दिया वहां नेत्र रोग विभाग डॉक्टर संगम द्वारा मेडिकल मुआयना की जांच की। उषा सक्सेना रिटायर्ड अध्यापिका थी एवं डेल्टा स्कूल की संचालिका थी। इसी प्रकार दूसरी ओर न्यू मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन वार्ड में रुकमणी देवी का निधन हो गया। सूचना नेत्रदान सलाहकार भूपेंद्र सिंह हाड़ा को दी। नेत्र विभाग के डॉक्टर पुष्कर गुर्जर ने मेडिकल मुआयना किया। इसी प्रकार टेक्नीशियन हेमंत यादव द्वारा 4 नेत्रों को संकलित किया गया।

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2021/3110 विज्ञप्ति दिनांक:-12.1.2022

नगर विकास न्यास कोटा की योजना रिखबचन्द धारीवाल अधिवक्ता-आवासीय योजना रानपुर के भूखंड सं. 448-बी श्री भगवत स्वरुप माथुर पुत्र श्री मुलचन्द माथुर को आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 24.09.2012 के द्वारा जारी किया गया था। आवंटी श्री भगवत स्वरुप माथुर की मृत्यु दिनांक 20.09.2016 को हो चुकी है। एवं श्रीमती राजेश माथुर पत्नी श्री भगवत माथुर थी। जिसकी मृत्यु पूर्व में ही दिनांक 24.02.1993 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त आवंटी के विधिक वारिसान श्री संजय माथुर पुत्र स्व. श्री भगवत प्रसाद माथुर द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आई.डी. व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त भूखंड अपने नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नामहस्तान्तरण की स्वीकृति में किसी को कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड सं. 448-बी रिखबचन्द धारीवाल अधिवक्ता-आवासीय योजना रानपुर का नाम हस्तान्तरण श्री संजय माथुर पुत्र स्व. श्री भगवत प्रसाद माथुर के नाम से जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3651 जाहिर आम सूचना दिनांक-19.1.2022

आवास संख्या 3-एफ-48 दादाबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री द्वारका दास पुत्र श्री वापारीमल को किया गया। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती कमलेश शर्मा पुत्री श्री गंगा बिशन शर्मा के नाम दिनांक 11.03.2010 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती कमलेश शर्मा पुत्री श्री गंगा बिशन शर्मा के नाम दिनांक 31.03.2010 को किया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती कमलेश शर्मा पुत्री श्री गंगा बिशन शर्मा द्वारा उक्त आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 09.04.2011 को श्रीमती मीना जैन पुत्री श्री रतन लाल जैन को अपना मुख्तार आम धारक नियुक्त किया गया। श्रीमती मीना जैन पुत्री श्री रतन लाल जैन द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 29.12.2011 को श्रीमती अमिता जैन पत्नी श्री यशवन्त कुमार जैन को किया गया। श्रीमती अमिता जैन पत्नी श्री यशवन्त कुमार जैन का नाम दिनांक 06.03.2012 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है। श्रीमती अमिता जैन पत्नी श्री यशवन्त कुमार जैन द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 26.08.2015 को श्री रामचन्द्र गोस्वामी पुत्र स्व. श्री रामचरण गोस्वामी को किया गया। श्री रामचन्द्र गोस्वामी पुत्र स्व. श्री रामचरण गोस्वामी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में अपना नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास को विक्रय पत्र के आधार पर श्री रामचन्द्र गोस्वामी पुत्र स्व. श्री रामचरण गोस्वामी के नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री रामचन्द्र गोस्वामी पुत्र स्व. श्री रामचरण गोस्वामी का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नही है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री रामचन्द्र गोस्वामी पुत्र स्व. श्री रामचरण गोस्वामी के नाम मंडल अभिलेख में दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

एलन स्टूडेंट्स ने 5 करोड़ से ज्यादा सूर्य नमस्कार किए

कोटा, (निसं)। शिक्षा के साथ संस्कार और राष्ट्रसेवा में सदैव तत्पर एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट द्वारा एक बार फिर राष्ट्र उत्थान के लिए हुए एक अनूठे यज्ञ में आहूति दी गई है। 75 करोड़ में से 5 करोड़ से ज्यादा सूर्य नमस्कार एलन स्टूडेंट्स एवं एलन परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयुष मंत्रालय, स्पोर्ट्स फैडरेशन ऑफ इंडिया, गीता परिवार, पंतजलि तथा क्रीड़ा भारती द्वारा 1 जनवरी से 21 फरवरी 2022 तक 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य रखा गया है।

इस अभियान में एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट भी सह आयोजक है। एलन के निदेशक व गीता परिवार के पश्चिमांचल प्रमुख डॉ. गोविन्द माहेश्वरी ने बताया कि इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए युवा दिवस पर एलन द्वारा 5 करोड़ सूर्य नमस्कार करवाने का लक्ष्य लिया गया। इसके लिए विद्यार्थियों को आव्हान किया, विद्यार्थियों और एलन परिवार के सदस्यों ने इस कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लिया और योगदान दिया। राष्ट्रवंदन के इस अनूठे कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी से एलन के 2 लाख 2 हजार 266 विद्यार्थियों ने 13 सूर्य नमस्कार 21 दिन तक करने का संकल्प लिया है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाए है। इसके लिए 24 स्टडी सेंटर्स पर स्टूडेंट्स को आव्हान किया गया, जिसमें 22 से अधिक विभाग शामिल थे। 20 कॉर्डिनेटर्स ने लगातार समन्वयक बनाया तथा बच्चों से नियमित सूर्य नमस्कार को लेकर मॉनिटरिंग की। 24 जनवरी को अभियान पूर्ण हुआ, जिसके तहत कुछ विद्यार्थियों ने एक साथ सूर्य नमस्कार रोड नं.1 स्थित उत्सव वाटिका में किया।

डॉ. माहेश्वरी ने कहा कि यह गतिविधि बच्चों को राष्ट्रवंदन के साथ-साथ स्वस्थता के लिए भी अच्छी है। हमें उम्मीद ही नहीं विश्वास भी है कि इनमें से अधिकांश विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इस गतिविधि को जारी रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे। सूर्य नमस्कार में पूरे शरीर का व्यायाम भी हो जाता है। बच्चों से कहा गया है कि इस प्रक्रिया को केवल अभियान तक सीमित नहीं रखते हुए अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें ताकि स्वयं स्वस्थ रहने के साथ-साथ दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें। अंत में विद्यार्थियों को 26 जड़ी-बूटियों द्वारा बने अमृत पेय का वितरण किया गया तथा इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना शादी से पूर्व का नाम याकुता सिराज कपासी से बदलकर शादी पश्चात नया नाम याकुता जमाली रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-याकुता जमाली पत्नी हुजैफा जमाली 3 हकीमी मंजिल कासिम गली अल्ट्राशेन टेलर के पास स्टेशन रोड रंगपुर रोड कोटा जं. कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम साजिद खान से बदलकर नया नाम साजिद अब्बासी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-साजिद अब्बासी पुत्र फखरुद्दीन इदगाह के सामने संजय बस्ती किशोरपुरा कोटा

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवास संख्या 233 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा पर लोकेश फतवानी के द्वारा एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड से ऋण (ऋण खाता संख्या 641187468, 614535049, 614534859, 618718622) प्राप्त किया गया था। श्री रेलूमल फतवानी व श्रीमती कमला देवी फतवानी के द्वारा संयुक्त रुप से अपनी मिल्कियत आवास संख्या 233 शास्त्री नगर दादाबाड़ी कोटा के असल दस्तावेजात एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड में रखे हुए है। रेलूमल फतवानी की दिनांक 28.05.2018 को मृत्यु हो चुकी है तथा उक्त सम्पत्ति के पेटे लिए हुए ऋण की पूर्ण अदायगी एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड को की जा चुकी है। श्रीमती कमला देवी फतवानी उक्त सम्पत्ति के असल दस्तावेजात को प्राप्त करना चाहती है। यदि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता या एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड शाखा विज्ञान नगर कोटा के समक्ष लिखित आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद सूचना कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित हो।

संदीप जैन एडवोकेट
583-ए तलवंडी, कोटा
मो. 9829180432

14567 पर वरिष्ठ नागरिक अपनी समस्या बताएं

कोटा, (निसं)। पीएल दुबे मेमोरियल बीएड कॉलेज में वरिष्ठ नागरिक हैल्पलाइन 14567 के संबंध में जन जागरूकता हेतु सेमीनार का आयोजन किया गया। इसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एल्डर हेल्प लाइन की जानकारी दी गई। जिसको राजस्थान में जेके लक्ष्मीपत व समर्थ एल्डर केयर के द्वारा संचालित किया जा रहा है। कोटा के फील्ड रेस्पॉन्स ऑफिसर ललितेश शर्मा ने बताया की टोल फ्री नंबर 14567 पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन सुबह आठ बजे से रात्रि आठ बजे तक फोन करके अपनी समस्या बता सकते है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष या अधिक है वह सूचना प्राप्ति हेतु, सरकारी योजनाओं की जानकारी, हेतु मार्गदर्शन हेतु, भावनात्मक सहयोग हेतु आर्थिक एवं सामाजिक शोषण के संबंध में एवं तथा जमीनी स्तर पर सहायता हेतु हेल्पलाइन पर फोन कर समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। सेमिनार में महाविद्यालय के 100 से अधिक छात्र-छात्राओं एवं आचार्य सम्मिलित हुए।

'जयपुर फुट' की मदद से दिव्यांगों के चेहरे खिले

आधार
स्थान "श्रद्धा"
श्री करनी नगर विकास समिति
झालावाड़ रोड, कोटा
रेखा जैन
सचिव
कोटा में दिव्यांगजनों को उपकरण प्रदान किए।

कोटा, (निसं)। इनरव्हील क्लब कोटा एवं महावीर विकलांग सहायता समिति के द्वारा दिव्यांगजनों हेतु दो दिवसीय शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा, भाजपा जिला महामंत्री शहर जगदीश जिंदल, समाज कल्याण विभाग ओपी तोषनीवाल, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति कोटा की अध्यक्ष प्रसन्ना भंडारी एवं निदेशक प्रवीण भंडारी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया।

इस अवसर पर विधायक संदीप शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इनरव्हील क्लब कोटा व भगवान महावीर विक्लांग सेवा समिति के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि महिला शक्ति के द्वारा निरंतर समाज में विभिन्न विषयों पर सतत सक्रियता के साथ सेवा कार्य किये जा रहे। उन्होंने भगवान महावर विक्लांक सेवा समिति का भी आभार व्यक्त किया जो दिव्यांगों को ट्राईसाईकिल, कृत्रिम पैर व हाथ लगा कर उनकी सहायता करना और उन्हें अपनें पैरों पर खड़ा कर आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना इससें बढ़कर कोई पुनित कार्य नहीं हो सकता। विधायक संदीप शर्मा ने सामाजिक संगठनों और संस्थाओं से भी आव्हान किया कि ऐसे पुनित कार्य को करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

इनरव्हील क्लब अध्यक्ष सुनीता गोयल जोली ने शिविर में आए सभी आगंतुकों का स्वागत किया एवं वर्ष पर्यन्त किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया साथ ही उन्होंने सभी आए व्यक्तियों को विशिष्ट प्रकार के उदाहरणों से प्रेरित कर लोगों में उत्साह का जागरण किया। पूर्व अध्यक्ष वंदना अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में जैसलमेर, सांगोद, झालावाड़, चित्तौड़ देवली, माझी, बारां, छत्तीसगढ़ आदि जिलों से 300 से अधिक लोगों के रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए जिसमें शिविर के प्रथम दिन 120 से अधिक लोग लाभान्वित हुए सचिव रेखा जैन ने जानकारी देते हुए बताया की चयनित दिव्यांगजनों को जयपुर फुट, ट्राईसाईकिल, व्हीलचेयर, सुनने की मशीन, कैलिपर, वॉकर हाथी का निःशुल्क वितरण किया गया।

शिविर में 3 साल से लेकर 85 साल तक के बुजुर्गों ने लाभ प्राप्त किया आज के इस कार्यक्रम में श्याम गोयल डॉ एसजे लिया, रोटरी के पास्ट डिस्टिक गवर्नर राजेश अग्रवाल एवं डॉ विक्रांत माथुर स्काउट गाइड नोडल ऑफिसर यज्ञदत्त हाड़ा, इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 305 के प्रांतीय सचिव स्वाति गुप्ता पीडीसी पुष्पा गुप्ता, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अंजली अग्रवाल, रेनू पालीवाल, जयश्री जेलिया, वंदना अग्रवाल, पशमीना मित्तल, मंजू बंसल, मानमती बंसल रेनू अग्रवाल लक्ष्मी खूबचंदानी राजकुमारी माहेश्वरी मीनू परयानी सहित क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे।

कार्यालय नगरपालिका कापरेन जिला बून्दी (राज.)

क्रमांक:-न.पा.का./2022/3281 आपत्ति विज्ञप्ति दिनांक:-24.1.2021

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती चन्द्रकला पत्नि श्री महावीर प्रसाद जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 5 कापरेन द्वारा अपने पट्टा शुदा प्लाट क्षेत्रफल 1085 वर्गफीट जिसकी चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार है पूर्व-सरकारी ड्रेन, पश्चिम-गली के बाद ख्वाज मोहम्मद का प्लाट, उत्तर-महावीर जैन का मकान, दक्षिण-श्रीलाल धाकड का मकान में स्थित है। जिसका आवासीय प्रयोजनार्थ निर्माण करवाने की स्वीकृति चाही गयी है। अतः उक्त संबंध में अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 7 दिवस में अपनी आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि पश चात आपत्ति स्वीकार नही होगी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कापरेन

कार्यालय नगर पालिका छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक: न.पा.छ./2022/287 प्रारुप-10 (नियम 6 (7) देखिए) दिनांक:-19.1.2022

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका छबड़ा जिला बारां

लोक सूचना

श्री जुगलकिशोर यादव आत्मज श्री बालचन्द यादव जाति जाटव निवासी बुद्धपुरा जिला बून्दी (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
छबड़ा जिला बारां	छबडा	525	09 बिस्वा

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त, प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 19.1.2022 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका छबड़ा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास कोटा

क्रमांक : LU2012/KOT/2021-22/100321 लोक सूचना दिनांक 24.01.2022

श्री KOUSHAL KISHOR MEENA पुत्र श्री S/O RAM NARAYAN MEENA जाति MEENA निवासी 97, DAIMOND TOWNSHIP, NH 27 KANWARPURA LADPURA KOTA ने कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिघृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थातः-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	मनपुरा, लाडपुरा (कोटा)	PREM BAI W/O GUDAKI LAL BERWA NIWASI LASHKARI BASTI CHOTA SOGERIYA WARD NO. 41 TEH. LADPURA KOTA	284/156	19900	1.99
				कुल	1.99

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के आभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 24.01.2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रुपान्तरण नगर परिषद बारां

क्रमांक:-नपबा/रूपा./2020/1953 लोक सूचना दिनांक:-9.7.2021

श्रीमति श्वेता जैन पत्नि श्री धर्मचन्द जैन निवासी ई 814 इन्द्रा विहार कोटा राज. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। **अर्थात :-**

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा
बारां तहसील बारां	रजपाली	खसरा नं. 332/239 रकबा 0.10 है.	कुल रकबा 0.10 है.

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज.......को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद बारां

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रुपान्तरण नगर परिषद बारां

क्रमांक:-नपबा/रूपा./2021/8229 लोक सूचना दिनांक:-19.1.2022

श्री मुकेश मीणा पुत्र मन्नालाल मीणा निवासी वी. 58 जवाहर नगर कोटा ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (कृषि आधारित गोदाम) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। **अर्थात :-**

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
सुन्दलक, तहसील व जिला बारां	सुन्दलक	खसरा नं. 1042/200, 200 1093/216 कुल किता 3	रकबा 0.98 है. 1.01 है., 1.88 है. कुल रकबा 3.85 है.

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 19.1.2022 को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद बारां

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रुपान्तरण नगर परिषद बारां

क्रमांक:-नपबा/रूपा./2021/8239 लोक सूचना दिनांक:-19.1.2022

श्री मुकेश कुमार पुत्र [illegible] ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन [illegible] के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। **अर्थात :-**

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
बारां तहसील व जिला बारां	सुन्दलक	खसरा नं. 699, 697, 1061/697, 698 कुल किता 4	रकबा 0.11 है., 0.09 है., 0.31 है. कुल रकबा 0.60 है.

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 19.1.2022 को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद बारां